रजिस्ट्री सं. डी. एल.–33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2014/फाल्गुन 13, 1935
No. 104] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2014/PHALGUNA 13, 1935

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

सा.का.नि. 142(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा (3) की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा पारादीप पत्तन न्यास मंडल के सा.का.नि. संख्या 488 (अ) दिनांक 15.06.2012 के अनुसार 31.03.2014 तक की शेष अवधि के लिए निदेशक (आरएसएन) पोत परिवहन मंत्रालय के स्थान पर श्री साम्बित त्रिपाठी, उप सचिव को पारादीप पत्तन न्यास मंडल में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी–11013/1/2013–एल]

एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

G.S.R. 142(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri Sambit Tripathy, Director, Ministry of Shipping on the Board of Trustees of Paradip Port Trust for the remaining period upto 31.3.2014 in place of Directory (RSN) Ministry of Shipping, who was appointed vide No. G.S.R. 488(E) dated 15.6.2012 on the Board of Trustees of Paradip Port Trust.

[F. No. LB-11013/1/2013-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

सा.का.नि. 143(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार नीचे दी गई तालिका की क्रम संख्या 1–6 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में 01.04.2014 से 31.03.2016 तक दो वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करती है :–

तालिका

1.	श्री रवि टोडी संयुक्त प्रबंध निदेशक मैडमा फिकॉर्प लि. 15बी, हेमन्त बासु सरानी कोलकाता–700 001	मर्चेंट चैम्बर ऑफ कामर्स। एम पी टी अधिनियम, 1963 के 3(1)(ग)(ii)(4) के अन्तर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि
2.	श्री देबाशीश दत्ता निदेशक बीजी सोमादर एंड संस (प्रा.) लि. 9, बेकरी रोड, हेस्टिंग्स कोलकाता–700 022	बंगाल नेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री। एम पी टी अधिनियम, 1963 के 3(1)(ग)(ii)(4) के अन्तर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि
3.	अध्यक्ष, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ए13 सैक्टर– I, नोएडा उ.प्र.–201301	एम पी टी अधिनियम, 1963 के 3(1)(ग)(ii)(4) के अन्तर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि
4.	श्री रागम किशोर सीईओ एंड पूर्णकालिक निदेशक, विशाखापत्तनम सी पोर्ट प्रा.लि. एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एस–4 गैलरी, पोर्ट क्षेत्र विशाखापत्तनम–530035	इंडियन प्रा. पोर्टस एंड टर्मिनल एसोसिएशन। एम पी टी अधिनियम, 1963 के 3(1)(ग)(ii)(4) के अन्तर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि
5.	श्री असीम सूत्रधार, महासचिव, नेशनल यूनियन ऑफ वाटरफ्रंट वर्कर्स (I)	पत्तन पर नियोजित श्रम के प्रतिनिधि
6.	श्री प्रबीर सरकार, महासचिव, कोलकाता पत्तन एंड तट मजदूर यूनियन	पत्तन पर नियोजित श्रम के प्रतिनिधि

[फा. सं. एलबी–11013/2/2013–एल]

एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

G.S.R. 143(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial number 1-6 in the table below, to be trustees on the Board of Trustees of the Kolkata Port Trust for a period of 2 years from 01.04.2014 to 31.03.2016 :—

TABLE

1.	Shri Ravi Todi Joint Managing Director Magma Ficorp Ltd. 15B, Hemanta Basu Sarani Kolkata – 700 001	Merchant Chamber of Commerce. Representing other interest as envisaged u/s 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963
2.	Shri Debasish Dutta Director BG Somadder & Sons' (P) Ltd. 9, Bakery Road, Hastings Kolkata – 700 022	Bengal National Chamber of Commerce & Industry. Representing other interest as envisaged u/s 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963

3.	Chairman, Inland Waterways Authority of India A13, Sector –I, Noida U.P. – 201301	Representing other interest as envisaged u/s 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963.
4.	Shri Ragam Kishore CEO & whole time Director, Visakhapatnam Sea Port Private Ltd., Administrative Block, S-4 Gallery, Port Area Visakhapatnam – 530035	Indian Private Ports & Terminals Association. Representing other interest as envisaged u/s 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963.
5.	Shri Asim Sutradhar, General Secretary, National Union of Waterfront Workmen(I)	Representing Labour employed at the Port
6.	Shri Prabir Sarkar, General Secretary Calcutta Port & Shore Mazdoor Union	Representing Labour employed at the Port

[F. No. LB-11013/2/2013-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

सा.का.नि. 144(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) सं. सा.का.नि. 133(अ), दिनांक 12 मार्च, 2012 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में दर्शाए गए व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए 01.04.2014 से 31.03.2016 तक की अवधि के लिए मुंबई पत्तन के बोर्ड न्यासी के रूप में कथित तालिका के कॉलम (2) में दर्शाए गए हितों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है :—

तालिका

क्रम सं.	हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1.	पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
2.	समुद्री वाणिज्यिक विभाग के प्रतिनिधि	1
3.	सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि	1
4.	महाराष्ट्र राज्य सरकार के प्रतिनिधि	1
5.	पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि	1
6.	रक्षा सेवा के प्रतिनिधि	1
7.	भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि	1
8.	तट रक्षक के प्रतिनिधि	1
9.	एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	5
10.	एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	5
	कुल	**19**

[फा. सं. एलबी–11013/4/2013–एल**]**

एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

G.S.R. 144(E).—In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing) No. G.S.R. 133(E) dated 12th March, 2012, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (3) of the Table below to be appointed to represent the interests mentioned in column (2) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Mumbai for the period from 01.4.2014 to 31.03.2016 :—

TABLE

Sl. No.	Interests	No. of Persons to be appointed
(1)	(2)	(3)
1.	Labour employed in the Port	2
2.	Rep. of Mercantile Marine Deptt.	1
3.	Rep. of Department of Customs	1
4.	Rep. of State Govt. of Maharashtra	1
5.	Rep. of Ministry of Shipping	1
6.	Rep. of Defence Services	1
7.	Rep. of Indian Railways	1
8.	Rep. of Coast Guard	1
9.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963	5
10.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(ii) of MPT Act, 1963	5
	TOTAL	**19**

[F. No. LB-11013/4/2013-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

सा.का.नि. 145(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार नीचे दी गई तालिका की क्रम संख्या 1–12 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में 1.4.2014 से 31.3.2016 तक दो वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करती है :–

तालिका

1.	प्रधान अधिकारी, मर्केनटाईल समुद्री विभाग, मुम्बई	मर्केनटाईल समुद्री विभाग के प्रतिनिधि
2.	आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट–आयात), मुम्बई	सीमाशुल्क विभाग के प्रतिनिधि
3.	प्रधान सचिव, (परिवहन एवं पत्तन) गृह विभाग, महाराष्ट्र सरकार	महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि
4.	श्री एन.मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव (पत्तन) पोत परिवहन मंत्रालय	पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि
5.	नौसेना प्रभारी अधिकारी (महाराष्ट्र),	रक्षा सेवाओं के प्रतिनिधि
6.	मुख्य प्रचालन प्रबंधक, मध्य रेलवे	भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि
7.	सेना प्रमुख, क्षेत्रीय मुख्यालय(डब्ल्यू), मुम्बई	भारतीय तटरक्षक के प्रतिनिधि
8.	डॉ. विनयाशिल गौतम	एमपीटी अधिनियम, 1963 के 3 (1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित
9.	श्री गजेन्द्र एच. लश्करी, फ्लैट नं. 2, भूखंड नाना बिल्डिंग टारडियो ब्रिज के नीचे, पांडे गर्ल्स हाई स्कूल लेन टारडियो, मुम्बई–400008	एमपीटी अधिनियम 1963 के 3 (1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत् परिकल्पित अन्य हित
10.	श्री सुशील देवी प्रसाद व्यास, 402 मारुति टॉवर, 301 जी. के. मार्ग, लोअर परेल (डब्ल्यू), मुम्बई–400013	एमपीटी अधिनियम 1963 के 3 (1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत् परिकल्पित अन्य हित
11.	श्री किशन बाबूराव जाघव, 147/सी, अगस्त क्रान्ति मार्ग, कैम्पस कार्नर, मुम्बई–400036	एमपीटी अधिनियम 1963 के 3 (1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत् परिकल्पित अन्य हित
12.	श्री विजय ज्ञान देसीकन	एमपीटी अधिनियम 1963 के 3 (1)(ग)(i) (7) के अंतर्गत् परिकल्पित अन्य हित

[फा. सं. एलबी–11013/4/2013–एल]

एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

G.S.R. 145(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial number 1-12 in the table below, to be trustees on the Board of Trustees of the Mumbai Port Trust for a period of 2 years from 01.04.2014 to 31.03.2016 :—

TABLE

1.	Principal Officer, Mercantile Marine Department, Mumbai	Representing Mercantile Marine Department
2.	Commissioner of Customs, (Import) Mumbai	Representing Department of Customs
3.	Principal Secretary (Transport & Ports), Home Department, Govt. of Maharastra	Representing the Government of Maharastra
4.	Shri N. Muruganandam, Joint Secretary (Ports), Ministry of Shipping	Representing Ministry of Shipping
5.	Naval Officer-in-Charge (Maharastra)	Representing Defence Service
6.	Chief Operation Manager, Central Railway	Representing Indian Railways
7.	Chief of Staff, Regional Headquarters (W), Mumbai	Representing Coast Guard
8.	Dr. Vinayshil Gautam	Representing other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act.
9.	Shri Gajendra H. Lashkari, Flat No. 2, Ground Floor, Nana Building, Below Tardeo Bridge Pandey Girls High School Lane, Tardeo, Mumbai – 400008	Representing Other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act.
10.	Shri Sushil Deviprasad Vyas, 402 Maruti Tower, 301, G.K. Marg, Lower Parel (W) Mumbai-400 013	Representing Other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act.
11.	Shri Kisan Baburao Jadhav, 147/C, August Kranti Marg, Kemp's Corner, Mumbai-400 036	Representing Other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act.
12.	Shri Vijay Gnandesikan	Representing Other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act.

[F. No. LB-11013/4/2013-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

सा.का.नि. 146(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार नीचे दी गई तालिका की क्रम संख्या 1–5 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में 01.04.2014 से 31.03.2016 तक दो वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करती है :–

तालिका

1.	श्री वी.वी.आर. नरसिंहम, कार्यकारी निदेशक, विसाख रिफाइनरी, पोस्ट बॉक्स नं. 15, विशाखापत्तनम–530011(अ.प्र.)	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.। एमपीटी अधिनियम, 1963 के 3(1)(ग)(ii)(4) के अन्तर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि
2.	श्री के.वी.कृष्णा कुमार, निदेशक, के. रामब्राइम एंड संस (प्रा) लि., 'प्लेटिनम हाउस' 25.12.6, गोदेवरी सेंट, विशाखापत्तनम–530001	विशाखापत्तनम स्टीवेडोरर्स एसोसिएशन। एमपीटी अधिनियम, 1963 के 3(1)(ग)(ii)(4) के अन्तर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि

3.	श्री सी.वी. अच्चुत राव, प्रबंध निदेशक, सीवीएसवी एग्रीटैक हाउस, एफएपीसीसीआई मार्ग, 11–6–841, रैड हिल्स, पी.बी. नं.14, हैदराबाद–500004	फेडरेशन ऑफ आंध्रप्रदेश चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री। एमपीटी अधिनियम, 1963 के 3(1)(ग)(ii)(4) के अन्तर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि, तमिलनाडू सरकार
4.	श्री वी.वी.राम राव मानद, अध्यक्ष विशाखापत्तनम, हार्बर एंड पोर्ट वर्क्स यूनियन, डी.नं. 26–26–27, बादरा मूर्थी सरमा भवन, हार्बर एप्रोच रोड, विशाखापत्तनम– 530001	पत्तन पर नियोजित श्रम के प्रतिनिधि
5.	श्री डी.के.सर्मा, महासचिव विशाखापत्तनम पोर्ट एम्पलायीज यूनियन, धर्मशक्ति भवन, 26–15–204, मैन रोड, विशाखापत्तनम–530001	पत्तन पर नियोजित श्रम के प्रतिनिधि

[फा. सं. एलबी–11013/5/2013–एल]

एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

G.S.R. 146(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial number 1-5 in the table below, to be trustees on the Board of Trustees of Visakhapatnam Port Trust for a period of 2 years from 01.04.2014 to 31.03.2016 :—

TABLE

1.	Shri V.V.R. Narasimham, Executive Director, Visakh Refinery, Post Box No. 15, Visakhapatnam-530011(AP).	Hindustan Petroleum Corporation Limited. Representing 'Other Interest' as envisaged under section 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963.
2.	Shri K.V. Krishna Kumar, Director K. Ramabrahmam & Sons (P) Ltd., "Platinum House", 25-12-6, Godeyvari St. Visakhapatnam-530001.	Visakhapatnam Stevedores' Association. Representing 'Other Interest' as Envisaged under section 3(1)(c)(ii)(4) of MPT, 1963.
3.	Shri C.V. Atchut Rao, Managing Director, CVSV Agritech & Exim Ltd., Federation House, FAPCCI Marg, 11-6-841, Red Hills, P.B. No. 14, Hyderabad-500004.	Federation of Andhra Pradesh Chambers of Commerce & Industry. Representing 'Other Interest' as Envisaged under section 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963.The Government of Tamil Nadu.
4.	Shri V.V. Rama Rao, Hony. President The Visakhapatnam Harbour & Port Workers' Union, D.No. 26-26-27, Bhadra Murthy Sarma Bhavan, Harbour Approach Road, VISAKHAPATNAM-530001	Representing labour employed at the port.
5.	Shri D.K. Sarma, General Secretary The Visakhapatnam Port Employees' Union, Dharmasakti Bhavan, 26-15-204, Main Road, VISAKHAPATNAM-530001.	Representing labour employed at the port.

[F. No. LB-11013/5/2013-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

सा.का.नि. 147(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार नीचे दी गई तालिका की क्रम संख्या 1–5 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा मुरगांव पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में 01.04.2014 से 31.03.2016 तक दो वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करती है :–

तालिका

1.	श्री अतुल वी. जाधव, 'रतनज्योत', एफ/2 रंगवी स्टेट इस्सोरसिम दबोलिम, गोवा	गोवा बार्ज ओनर एसोसिएशन। एमपीटी अधिनियम, 1963 के 3(1)(ग)(ii)(4) के अन्तर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि
2.	श्री विनोद पार्ककोट, एजेन्सिया कामर्शियल मैरीटीमा पोस्ट बॉक्स सं.–22, स्वतंत्रता पथ वास्कोडिगामा गोवा–403802	मुरगांव स्टीवडोरस एसोसिएशन। एमपीटी अधिनियम, 1963 के 3(1)(ग)(ii)(4) के अन्तर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि
3.	श्री शिवानंद वी सालगाओकर, प्रबंध निदेशक, वी.एम. सालगाओकर एंड ब्रदर्स प्रा.लि., सालगाओकर हाउस फ्रांन्सिस्को लुइस गोमस रोड, पोस्ट बॉक्स सं. 14, वास्को डा गामा, गोवा–403802	गोवा मिनरल अयस्क एक्सपोर्टरस एसोसिएशन। एमपीटी अधिनियम, 1963 के 3(1)(ग)(ii)(4) के अन्तर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि
4.	कप्तान राजेश सहगल, उपाध्यक्ष, मकान नं. 18, गली न. 7, आल्टो चिकालिम, वास्को डा गामा, गोवा–403711	मुरगांव शिप एजेन्ट एसोसिएशन। एम पी टी अधिनियम, 1963 के 3(1)(ग)(ii)(4) के अन्तर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि
5.	श्री अगस्टो डीकोस्टा, अध्यक्ष, गोवा पत्तन और डोक कर्मचारी संघ कैन्टीन के पास, मुख्य ए.ओ.भवन हेडलैण्ड, साडा, वास्को, गोवा	पत्तन पर नियोजित श्रम के प्रतिनिधि

[फा. सं. एलबी–11013/7/2013–एल]

एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

G.S.R. 147(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial number 1-5 in the table below, to be trustees on the Board of Trustees of the Mormugao Port Trust for a period of 2 years from 01.04.2014 to 31.03.2016 :—

TABLE

1.	Shri Atul V. Jadhav, 'Ratanjyot', F/2, Ranghvi Estate, Issorsim Dabolim, Goa	Goa Barge Owners' Association. Representing Other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963.
2.	Shri Vinod Parkkot, Agencia Comercial Maritima P.O. Box No. 22, Swatantra Path Vasco Da gama, Goa – 403 802	Mormugao Stevedores Association. Representing Other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963.
3.	Shri Shivanand V. Salgaocar Managing Director V.M. Salgaocar & Bro. Pvt. Ltd. Salgaocar House, Francisco Luis Gomes Road, Post Box No. 14, Vasco Da Gama Goa – 403 802	Goa Mineral Ore Exporters' Association. Representing Other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963.

4.	Capt. Rajesh Saigal, Vice President House No. 18, Lane No. 7 Alto Chicalim, Vasco da gama Goa - 403711	Mormugao Ships' Agents' Association Representing Other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963.
5.	Shri Augusto D'Costa President Goa Port & Dock Employees' Union Adjacent to Canteen, Main A.O. Building Headland, Sada, Vasco Goa	Representing labour employed at the Port.

[F. No. LB-11013/7/2013-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

सा.का.नि. 148(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार नीचे दी गई तालिका की क्रम संख्या 1–10 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा कांडला पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में 1.4.2014 से 31.3.2016 तक दो वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करती है :–

तालिका

1.	प्रधान अधिकारी, मर्केनटाईल समुद्री विभाग, कांडला	मर्केनटाईल समुद्री विभाग के प्रतिनिधि
2.	आयुक्त सीमाशुल्क, कांडला	सीमाशुल्क विभाग के प्रतिनिधि
3.	उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गुजरात समुद्री मंडल	राज्य सरकार के प्रतिनिधि
4.	श्री साम्बित त्रिपाठी, निदेशक	पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि
5.	नौसेना प्रभारी अधिकारी, गुजरात	रक्षा सेवाओं के प्रतिनिधि
6.	मुख्य फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन प्रबंधक,/पूर्व रेलवे	भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि
7.	स्टाफ प्रमुख, क्षेत्रीय मुख्यालय (एनडब्ल्यू), गांधीनगर	भारतीय तटरक्षक के प्रतिनिधि
8.	श्री मयूर के. जूडासामा, प्लाट न. 346 सैक्टर–1 गांधीनगर, गुजरात–382007	एमपीटी अधिनियम 1963 के 3 (1)(ग)(आई)(7) के अंतर्गत् परिकल्पित अन्य हित
9.	श्री करसनदास सोनारी	एमपीटी अधिनियम 1963 के 3 (1)(ग)(आई)(7) के अंतर्गत् परिकल्पित अन्य हित
10.	महावीर सिंह के. गोहिल प्लाट नं. 597, विजयराज नगर, दूध डेयरी रोड, भाव नगर, गुजरात–364003	एमपीटी अधिनियम 1963 के 3 (1)(ग)(आई)(7) के अंतर्गत् परिकल्पित अन्य हित

[फा. सं. एलबी–11013/8/2013–एल]

एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

G.S.R. 148(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial number 1-10 in the table below, to be trustees on the Board of Trustees of the Kandla Port Trust for a period of 2 years from 01.04.2014 to 31.03.2016 :—

TABLE

1.	Principal Officer, Mercantile Marine Department, Kandla	Representing Mercantile Marine Department
2.	Commissioner of Customs, Kandla	Representing Department of Customs
3.	Chief Executive Officer & Vice-Chairman, Gujarat Maritime Board	Representing State Government

4.	Shri Sambit Tripathy, Director	Representing Ministry of Shipping
5.	Naval Officer-in-Charge, Gujarat	Representing Defence Services
6.	Chief Freight Transportation Manager/WR	Representing Indian Railways
7.	Chief of Staff, Regional Headquarters (NW), Gandhinagar	Representing Coast Guard
8.	Shri Mayur K. Chudasama Plot No. 346, Sector – 1, Gandhinagar Gujarat – 382 007	Representing Other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963.
9.	Shri Karsandas Sonari	Representing Other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act,1963.
10.	Shri Mahavirsinh K. Gohil Plot No. 597, Vijayraj Nagar Dudh Dairy Road, Bhavnagar Gujarat – 364003	Representing Other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963.

[F. No. LB-11013/8/2013-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.